सं०सं०–1/फा०–05/2012–.....19.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक: संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,
प्राचार्य,
राजकीय फार्मेसी संस्थान,
अगमकुआँ, पटना–7

पटना, दिनांक–25 अप्रैल, 2012

विषय:–राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को विपत्र कोड–N 2210051050013 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 96,27,800/– (छियानबे लाख सतार्इस हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को विपत्र कोड– एन 2210051050013 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 96,27,800/– (छियानबे लाख सतार्इस हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस आवंटन में मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में दी गई राशि मशीनों एवं उपस्करों को क्रियाशील बनाये रखने एवं रख रखाव तथा दैनिक उपयोग के लिए सम्मिलित है।

5. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0013–प्रशिक्षण फार्मेसी, माँग संख्या 20 विपत्र कोड–N 2210051050013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। समय–समय पर वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7. इस राशि के क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में तथा निर्धारित शर्त्तो के तहत् किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

24/4/2012

क्रमशः

9. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

10. इस राशि की निकासी उप कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2012–13 / फा०–05 / 2012–.....19.....(1)ब० / स्वा०, पटना, दिनांक–25 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / जिलाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना / बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–1 / संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

फार्मेसी संस्थान, पटना विपत्र कोड एन 2210051050013 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	**बजट उपबंध**	**वर्त्तमान आवंटन**	**शेष राशि**
01 01 वेतन	3729000	3356100	372900
01 03 जीवन यापन भत्ता	2498000	2248200	249800
01 04 मकान किराया भत्ता	746000	671400	74600
01 05 परिवहन भत्ता	84000	75600	8400
01 06 चिकित्सा भत्ता	36000	32400	3600
01 07 अन्य भत्ता	4000	3600	400
योग– वेतन एवं भत्ते	**7097000**	**6387300**	**709700**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	100000	100000
11 01 यात्रा व्यय	50000	25000	25000
13 01 कार्यालय व्यय	50000	25000	25000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	50000	25000	25000
13 03 दूरभाष	10000	5000	5000
13 04 विद्युत प्रभार	250000	125000	125000
13 06 वर्दी/पोशाक	15000	7500	7500
14 01 किराया महसूल एवं कर	50000	25000	25000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	2000000	1000000	1000000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	2000000	0	2000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	3000000	1500000	1500000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	6000	3000	3000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	1000000	400000	600000
कुल योग :–	**15778000**	**9627800**	**6150200**

(मात्र छियानबे लाख सताईस हजार आठ सौ रूपए)

19(1)वि०
25-4-12

24/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।